



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. - 05963.253385 (O)

पत्रांक 1886/2380

दिनांक 13/12/2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषय:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बनलेख- मउडियार- ग्वातोली मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में FP/UK/ROAD/11434/2015

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आर0आई0 उत्तराखण्ड, देहरादून EDS Dated 05.12.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आर0आई0 उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियाँ लगायी गयी हैं उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियाँ	आख्या
1	In reply to point no 2, though the FRA certificate with correcte area has now been uploaded online alongwith all the Annexures but the date of Village Level committee meeting of Maudiyar village (20.11.2015) is after the meeting of sub Divison Level Committee meeting (19.01.2015).	FRA certificate Date of VLC meeting of Maudiyar village is actually 20.01.2015 and meeting of sub divisional Level committee meeting is 29-01-2015.
2	Original hard copy of the revised documents i.e. FRA certificate in original with original or attested copies of all the Annexures; original part-III, & V of the proposal duly signed by competent authority, digital map of proposed road and CA area is required to be provided.	FRA certificate in attached copies of all Annexures has been provided in hard copy & uploaded in part-I(k). Part-III & IV of the proposal duly signed by competent authority is to be provide CF and State govt. <i>respectively</i> .
3	State govt. may also upload authority letter at A-3(xvii) part-I online in favour of the person making application and may also review/revise the date of permanent employment filled at para-E Part-I online.	authority letter is upload at A-3(xvii) part-I online in favour of Mr. S.K.Pandey Excutive Engineer.

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,  
कपकोट

प्रारूप-1

Mr. S.K.Pandey (**Executive Engineer**) is here by authorized to upload the Land Transfer proposal regarding **Construction of Banlekh Maudiyar Gwatoli motor road Length** (12.00Km) of the C.D.P.W.D. Kapkot (agency name) on the Government of india portal [www.forestclearance.nic.in](http://www.forestclearance.nic.in) on behalf of the **Superintending Engineer** (head of the Institution name/designation)

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
सिविल सुत्त, लोडनिठविठ,  
सामेइवर।



**प्रपत्र- 23**

परियोजना का नाम:- एस0सी0पी0 के अन्तर्गत बनलेख-मउडियार-ग्वातोली मोटर मार्ग 12.00 किमी0के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

**वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र**

ग्राम पंचायत का नाम ग्वातोली

तहसील का नाम दुःगनापुरी, जिला बागेश्वर

**अनापत्ति प्रमाण पत्र**

हेतु आरक्षित वनभूमि 1.1.5.0 हे0 सिविल सोयम भूमि 1.1.6.4.5 हे0 वन पंचायत भूमि 1.1.7.1.5 ... हे0) अर्थात् कुल 4.1.4.1.0 हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ग्वातोली द्वारा दिनांक 29/1/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ग्वातोली के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह0/-

ह0/--

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान  


ग्राम पंचायत कुनावल  
वि0ख0/जिला-बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

**प्रपत्र- 23**

परियोजना का नाम:- एस0सी0पी0 के अन्तर्गत बनलेख-मउडियार-ग्वातोली मोटर मार्ग 12.00 किमी0के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 19-1-15 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत ग्वातोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1.	ग्राम प्रधान जुनावल	<u>Qimal</u>
2.	सरी प्रसाद	सरी प्रसाद
3-	हरपान राम	हरपान राम
4-	दीवान राम	दीवान राम
5-	गुमान राम	गुमान राम
6-	गोविन्द राम	गोविन्द राम
7.	भावन राम	भावन राम
8-	मोहन राम	मोहन राम
9.	वमेश राम	वमेश राम
10.	उमेश राम	उमेश राम
11.	पुन राम	पुन राम
12.	हरेश राम	हरेश राम
13.	अन्य राम	अन्य राम
14-	सुरेश चन्द	सुरेश चन्द
15-	उम वल्य	उम वल्य

ह0/--

ग्राम प्रधान  
Qimal  
प्रधान

ग्राम पंचायत जुनावल  
दि०ख०/जिला-बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

प्रपत्र- 23

परियोजना का नाम:- एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख मउडियार ग्वातोली तक 12 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।

**वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र**

ग्राम पंचायत का नाम सुदिल  
तहसील का नाम दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर

**अनापत्ति प्रमाण पत्र**

उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख-मउडियार-ग्वातोली तक 12 किमी0 मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि, 1.050 हे0 सिविल सोयम भूमि 1.645 हे0 वन पंचायत भूमि 1.715 हे0) अर्थात् कुल 4.410 हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 कपकोट विभाग/सस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सुदिल द्वारा दिनांक 19.01.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जुनायल के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव  
सुदिल  
वन पंचायत सुदिल  
तहसील/जिला बागेश्वर

अमलादेवी  
ह0/सचिव  
वन पंचायत सुदिल  
तहसील/जिला बागेश्वर

प्रपत्र- 23

परियोजना का नाम:-एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख मउडियार ग्वोताली तक 12 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनांक 19-01-2015 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत सुन्दर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
	जलजल सिंह पपोला	जलजल सिंह
	रतन सिंह	रतन सिंह
	सुरज सिंह	सुरज सिंह
	केसर सिंह	केसर सिंह
	भागीरथी देवी प्र. प्रधान	भागीरथी देवी
	वाय सिंह	वाय सिंह
	केलार सिंह	केलार सिंह
	सुरज सिंह	सुरज सिंह
	कमला देवी प्रधान	कमला देवी
	जाल सिंह	जाल सिंह
	उदे सिंह	उदे सिंह
	दयाल सिंह	दयाल सिंह
	निरज सिंह	निरज सिंह
	जलिला देवी	जलिला देवी
	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
	वासन्ती देवी	वासन्ती देवी
	बहादुर सिंह	बहादुर सिंह
	कस्तुरी देवी	कस्तुरी देवी
	खड्क देवी	खड्क देवी
	शेर सिंह	शेर सिंह
	पताप सिंह	पताप सिंह
	शेर सिंह	शेर सिंह

कमला देवी  
बहाप  
ग्राम पंचायत सुन्दर  
ह0  
शे. च. भागीरथी (बागेश्वर)  
ग्राम प्रधान

**प्रपत्र- 23**

परियोजना का नाम:- एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख मउडियार ग्वातोली तक 12 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।

**वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र**

ग्राम पंचायत का नाम जुनायल  
तहसील का नाम दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर

**अनापत्ति प्रमाण पत्र**

उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख-मउडियार-ग्वातोली तक 12 किमी0 मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि, 1.050 हे0 सिविल सोयम भूमि 1.645 हे0 वन पंचायत भूमि 1.715 हे0) अर्थात् कुल 4.410 हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जुनायल द्वारा दिनांक 19.01.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जुनायल के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव

  
सरपंच  
वन पंचायत जुनायल  
तहसील/जिला बागेश्वर

ह0/-

ग्राम प्रधान

  
प्रधान  
वन पंचायत जुनायल  
तहसील-बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

प्रपत्र- 23

परियोजना का नाम:-

दिनांक 19-1-2015 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत जुनायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	पिनोद चंद्र	<u>Pinod</u>
2	किशोर देव	किशोर देव
3	दिनेश चंद्र	दिनेश चंद्र
4	मनोहर देव	मनोहर देव
5	हरीश कांडपाल	जन चन्द
6	हरी शंकर	राज
7	महेश देव	महेश
8	प्रकाश चंद्र	प्रकाश चंद्र
9	सुरेश चंद्र	सुरेश चंद्र
10	दिवान राम	दिवान राम
11	देव राम	देव राम
12	रियाजी देव	रियाजी देव
13	गंगा देवी	गंगा देवी
14	वल्लभा देवी	वल्लभा देवी
15	प्रमोद जोशी	प्रमोद जोशी
16	मन्जु जोशी	मन्जु जोशी
17	रमेश चंद्र	रमेश
18	पुष्पा जोशी	पुष्पा जोशी
19	दीवान राम	दीवान राम
20	मोहन राम	मोहन राम
21	गोविन्द राम	गोविन्द राम
22	प्रेम कल्ल	प्रेम
23	नन्द किशोर	नन्द किशोर
24	गोवीन्द कुमार	गोवीन्द कुमार
25	दिपक जोशी	दिपक जोशी
26	एस जी जोशी	एस जी जोशी

Pranod  
सरपंच  
ग्राम पंचायत जुनायत  
बहरील/जिला बागेश्वर

ह0/-  
ग्राम प्रधान  
Pinod  
ग्राम पंचायत जुनायत  
वि०ख०/जिला-बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- एनएचपी के अन्तर्गत अनापत्ति स्वामित्वी मोटर

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - अउडिया

तहसील - कमोडी जिला - बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उक्त पत्र में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनलेख अउडिया परियोजना के निर्माण हेतु (----- हे0 आरक्षित वन भूमि, ----- हे0 सिविल सोयम भूमि..... हे0 वन अनापत्ति भूमि 1.715 हे0) अर्थात् कुल 4.415 हे0 वन भूमि का लो.नि.वि.क.पको विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत अउडिया द्वारा दिनांक 12-11-15 को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

पर्वत के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम अउडिया के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-  
ग्राम सचिव

सरपंच  
Chunshyam Pan  
वन पंचायत मौउडियार  
पुई डुग पो० वनलेख  
तहसील/जिला-बागेश्वर

Chunshyam Pan  
ह0/-  
ग्राम सचिव  
ग्राम पंचायत मौउडियार  
बागेश्वर (बागेश्वर)

नोट :- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।  
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 17-01-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत नउडिया

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित व्यक्ति ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दीक्षिण जोशी	[Signature]
2	मंडेरा चंड	[Signature]
3	खंडेरा चंड जोशी	[Signature]
4	जलित जोशी	[Signature]
5	खंडेरा चंड	Re Sashi
6	दमा कृष्ण	DK Sashi
7	शेखरे चंड	S M Sashi
8	चारीरा चंड	Chari Ram Chand
9	खुबरे दत्त	[Signature]
10	वसंत वज्रभूमि	[Signature]
11	केजाल चंड	[Signature]
12	धुवरे चंड जोशी	[Signature]
13	धुवरे चंड जोशी	[Signature]
14	धुवरे चंड जोशी	[Signature]
15	हरेश जोशी	[Signature]
16	जोगाराम	[Signature]
17	फकीरराम सदीराम	[Signature]
18	जगन्नाथ	[Signature]
19	श्री विशनदा	[Signature]
20	श्री विशनदा	[Signature]
21	फकीरराम	[Signature]
22	रमेशराम	[Signature]
24	इन्दराम	[Signature]
25	चन्धामराम	[Signature]

Chhanskyam Ram  
 सरपंच  
 ग्राम पंचायत मौंडडियार  
 पट्टी दुग पी० बनलेख  
 तहसील/जिला-वागेश्वर

[Signature]  
 प्रधान  
 ग्राम पंचायत मौंडडियार  
 वि० ख० वागेश्वर (वागेश्वर)

परियोजना का नाम:- एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख मउडियार ग्वातोली तक 12 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी बागेश्वर  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, दुगनाकुरी

उपखण्ड कपकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख मउडियार ग्वातोली तक 12 किमी0 मोटर मार्ग ( आरक्षित वन भूमि 1.050 हे0 सिविल एवं सोयम वनभूमि 1.645 हे0 वन पंचायत भूमि 1.715 हे0 , अर्थात कुल 4.410 हे0 वन भूमि ) का लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी ( वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, ( तहसील दुगनाकुरी ) की दिनांक 29-1-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी ( वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, ( तहसील दुगनाकुरी ) की दिनांक 29-1-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी ( वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री. फिचारा चौहान उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री. फिचारा चौहान उप जिलाधिकारी बागेश्वर अध्यक्ष
- 2- श्री. स.प.स. राम वर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर सदस्य
- 3- श्री कालू राम वर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी कपकोट सदस्य/सचिव
- 4- श्री जगदीश राम बी0डी0सी0 क्षेत्र पलायन सदस्य

ज.अ.दि.र/स.क  
सदस्य  
क्षेत्र पंचायत पलायन  
वि.ख./जिला-बागेश्वर  
(उत्तरखण्ड)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत बनलेख मउडियार ग्वातोली मोटर मार्ग के परियोजना हेतु 4.410 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

(2)

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी.....9/1/2017 अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराये कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।


बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कपकोट क्षेत्र के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत बनलेख मउडियार ग्वातोली मोटर मार्ग के परियोजना निर्माण हेतु 4.410 हे0 वनभूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

  
महायुक्त समाज कल्याण अधिकारी  
विकास खण्ड कपकोट  
जनपद-बागेश्वर

  
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपजिलाधिकारी  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
बागेश्वर  
तहसील.....5/1/2017  
जनपद.....9/1/2017

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी.....9/1/2017 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
बागेश्वर

  
महायुक्त समाज कल्याण अधिकारी  
विकास खण्ड कपकोट  
जनपद-बागेश्वर

  
सदस्य  
क्षेत्र पंचायत पलायन  
वि.ख./जिला-बागेश्वर  
(उत्तराखण्ड)

  
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपजिलाधिकारी  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
बागेश्वर  
तहसील.....5/1/2017  
जनपद.....9/1/2017

Office of the Deputy Commissioner  
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA),2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constuted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date 16-02-2015 at time 3:50pm at Bageshwar in which application claiming rights in **Maudiyar- Gwatoli** area measuring **4.410** hect for the Construction of **Banlekh Maudiyar Gwatoli motor road (12.00km)** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Bageshwar

Dated: 16-2, 2015

  
Deputy Commissioner Chairman  
District level Committe

Form-1  
(for liner project)  
Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector Bageshwar

Dated. 16/2/15

**To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of applications for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest area proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's letter dt. 5<sup>th</sup> feb 2013 wherein MOEF has granted certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.850** hectares of forest and proposed to be diverted in favor of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Banlekh Maudiyar Gwatoli motor road (12.00km) in distt Bageshwar** which falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.410** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annexure.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent it;.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclosed- as above

Signature

Dated 16/2/15

(Bhupal Singh Manral)  
District Collector  
Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

**Form-II**  
(for liner project)  
Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector Bageshwar

Dated..16].2.15

**To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No-FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non proposed read with MOEF's letter dt. 5<sup>th</sup> feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear it is certified that 3.850 hectares of forest and proposed to be diverted in favor of **Construction Division Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Banlekh Maudiyar Gwatoli motor road** in distt-Bageshwar.

Further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.850 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure.....to annexure.....
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language ) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: YES
- The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of **Maudiyar Gwatoli Village (s)** is enclosed as annexure.....
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: NA

Encl: As above

  
**Bhupal Singh Manral**  
District Collector  
Bageshwar